**संख्या:26/2025/1039ई-2/तेरह-2025-1720269**

प्रेषक,

**दुर्गा सिंह**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त**
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 27 अगस्त, 2025

**विषयः- मेसर्स ग्लोबस स्प्रिट लिमिटेड, ग्राम-अब्बासपुर, औरंगाबाद, तहसील-मितौली-लखीमपुर खीरी में 315 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 1102.5 लाख लीटर क्षमता की मिश्रित आसवनी की प्रदत्त अनुमति के प्रथम चरण में डुअल मोड 100 के०एल० प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन/80 के०एल० क्षमता की शीरा आधारित आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।**

---

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-24/दो-प्रा.डी.-270/मे. ग्लोबस स्प्रिट्स, दिनांक 02-06-2025 एवं पत्र संख्या:जी-32/दो-प्रा.डी.-270/मे. ग्लोबस स्प्रिट्स, दिनांक 07-07-2025 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 21-08-2025 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:1032ई-2/तेरह-2025-1720269, दिनांक 27-08-2025का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2.** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-02-06-2025 एवं 07-07-2025 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स ग्लोबस स्प्रिट्स लिमिटेड, ग्राम-अब्बासपुर, औरंगाबाद, तहसील-मितौली-लखीमपुर खीरी में 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के केवल ग्रेन प्लांट, 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का ग्रेन/शीरा प्लांट, 15 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का माल्ट प्लांट तथा पेय मदिरा के निर्माणार्थ मिश्रित आसवनी स्थापना हेतु पूर्व प्रदत्त अनुमति को संशोधित करते हुए प्रथम चरण में इकाई द्वारा 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का ग्रेन प्लांट/80 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के शीरा प्लांट का डुअल मोड आधारित आसवनी, जिसके अन्तर्गत 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 350 लाख लीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता तक की शीरे एवं अनाज आधारित मिश्रित आसवनी जिसके अन्तर्गत ई.एन.ए., रेक्टिफाइड स्प्रिट, इम्प्योर स्प्रिट का उत्पादन करते हुये 70 प्रतिशत अर्थात 245 लाख लीटर पेय मदिरा तथा शेष 30 प्रतिशत अर्थात् 105 लीटर औद्योगिक औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन), नियमावली, 2019 एवं (आसवनी की स्थापना) (सोलहवां संशोधन), नियमावली, 2022 में उल्लिखित शर्तों तथा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन की दशा में शासनादेश संख्या:33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों एवं नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3) इकाई द्वारा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 03-04-2025 द्वारा प्रदान किये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र में लगाई गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

(4) ग्रेन से एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(5) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(7) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(8) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(9) इकाई द्वारा ग्रेन साइलों में अनाज संचित करने के लिये बकेट एलीवेटर पर सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार ग्रेन साइलो से प्लान्ट में अनाज

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ले जाने वाली कन्वेयर पर भी ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के अनाज का भण्डारण/अंतरण किया जा रहा है।

(10) ऊपरलिखित शर्तों के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई/ आसवनी को निर्गत लाइसेंस में अध्यासी/आसवनी मालिक का नाम Registrar of Companies (ROC) में पंजीकृत अभिलेखों के अनुरूप हो। इस हेतु ROC स्तर से जारी अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। शेयर होल्डर्स के डिटेल्स भी अभिलेखों में सुरक्षित रखे जायेंगे।

(11) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(12) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(दुर्गा सिंह)**
उप सचिव।

**संख्याः26/2025/1039(1)ई-2/तेरह-2025,तद्दिनांकः-**

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, चीनी आयुक्त एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(दुर्गा सिंह)**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in